आगरा विकास प्राधिकरण
जयपुर हाउस, आगरा।

दिनांक : 21.04.2018

निविदा सूचना सं0 01/वि./यां./18–19

अति अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्यों हेतु ई–निविदा के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जाती है :–

क्र. सं.	कार्य का नाम	बी.ओ. क्यू. धनराशि (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 में)	निविदा मूल्य समस्त करों सहित (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पात्र श्रेणी	खण्ड का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दिनांक 11.04.2018 को आये आँधी–तूफान से प्रभावित प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित मार्गो की पथ प्रकाश व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	24.47	49,000/-	1120/-	15 दिन	डी	वि./यां.

- उक्त कार्य की निविदायें दिनांक 26.04.2018 को आमंत्रित की जाती है। यह निविदा दिनांक 23.04.2018 से 25.04.2018 के अपरान्ह् 3:00 बजे तक ई–निविदा पोर्टल www.etender.up.nic.in पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।
- निविदा सबंधी विस्तृत शर्तें एवं अन्य विवरण प्राधिकरण की बेवसाइट www.adaagra.in पर देखी जा सकती है।

नियम व शर्तें:

1. उक्त कार्यों की निविदायें दिनांक 26.04.2018 को आमंत्रित की जाती है, जो कि उसी दिन 12:30 के अपरान्ह् खोली जायेगी।
2. निविदायें दिनांक 23.04.2018 के अपरान्ह् 12:30 बजे से दिनांक 25.04.2018 के अपरान्ह् 3:00 बजे तक ई–निविदा पोर्टल www. etender.up.nic.in पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।
3. निविदा के साथ रू 100/– का स्टाम्प पेपर एवं रू 02/– का रसीदी टिकट अपलोड करना होगा।
4. (क) वांछित धरोहर धनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से निविदा तिथि से एक दिन पूर्व तक प्राधिकरण खाता संख्या–540002010006001 (बैंक का नाम/पता–यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, ए.डी.ए. ब्रान्च जयपुर हाउस, आगरा) IFSC CODE UBIN0554006 में जमा करना अनिवार्य होगा तथा इसके साक्ष्य के रूप में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी धरोहर धनराशि के यू.टी.आर. नंम्बर का विवरण भी निविदा के साथ अपलोड कराया जाना आवश्यक है अन्यथा की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

   (ख) धरोहर धनराशि एफ.डी.आर./एन.एस.सी. के माध्यम से जमा की जा सकती है। राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर. अथवा एन.एस.सी. जो कि अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बंधक की गयी हो, निविदा से एक दिन पूर्व अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में 3:30 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा तथा धरोहर धनराशि की छायाप्रति/स्कैन प्रति निविदा के साथ अपलोड करना होगा अन्यथा की दशा में निविदा मान्य न होगी।
5. निविदा अपलोड करने से पूर्व निविदादाता स्थल निरीक्षण कर कार्य सम्पादन की परिस्थितियों का आंकलन अवश्य कर ले। समस्त शंकाओं का समाधान सम्बन्धित अधिशसी अभियन्ता से कर लें। निविदा अपलोड करने के उपरान्त् निविदादाता का कोई अन्य पक्ष मान्य न होगा। सशर्त निविदा मान्य नही होगी।
6. प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों को अपनी श्रेणी के अलावा एक श्रेणी निम्न तक भी निविदा डालने का अधिकार होगा।
7. विशिष्ट श्रेणी के कार्यो के अन्तर्गत प्रश्नगत् कार्य में दक्ष निविदादाता/फर्म द्वारा भाग लिया जा सकता है। इन कार्यों हेतु प्राधिकरण में पंजीकरण की बाध्यता न होगी। सफल निविदादाता को पंजीकरण की औपचारिकता पूर्ण करनी होगी।
8. निविदा की दरें शब्दों एव अंकों में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी।

Scanned by CamScanner

9. शासनादेश संख्या–622/23–12–2012–2 ऑडिट/08 टी.सी. 2, दिनांक 08 जून, 2012 लो.नि.वि. में दिये गये प्राविधानों के अनुसार विभागीय दर से 10 प्रतिशत निम्न तक 0.5 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक निम्न डालने पर 1 प्रतिशत कम दर सिक्योरिटी/परफारमेन्स गारन्टी सम्बन्धित ठेकेदार को अनुबन्ध के समय अतिरिक्त रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
10. सभी निविदादाताओं को श्रम विभाग, जी.एस.टी. एवं अन्य कोई विभाग (जहाँ कोई टैक्स देय हो) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
11. निविदादाता कम्पनी के निदेशक या फर्म के पार्टनर को इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि प्रश्नगत् निविदा प्रक्रिया में भागीदार अन्य किसी फर्म या कम्पनी में न तो वह स्वयं पार्टनर है न ही निदेशक है तथा उसका कोई निकटतम सम्बन्ध जैसे–पिता, माता, पुत्र, पुत्री पत्नी एवं भाई आदि भी प्रश्नगत् निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली अन्य किसी फर्म में पार्टनर नहीं है अथवा प्रश्नगत् निविदा प्रक्रिया में भागीदार अन्य किसी कम्पनी में निदेशक नहीं है।
12. विद्युत सम्बन्धी कार्य उ.प्र. पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड की विशिष्टियों के अनुरूप तथा सिविल कार्य उ.प्र. लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाने होगें।
13. निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकारी निर्विवाद रूप से उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, में निहित होगा, जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेंगी।
14. रू0 40.00 लाख से अधिक धनराशि व विशिष्ट श्रेणी के कार्यों में टू बिड सिस्टम के अन्तर्गत निविदायें आमंत्रित होगी। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी।
15. निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि अपना बैंक एकाउन्ट संख्या का उल्लेख कर दें ताकि असफल निविदादाताओं की धनराशि उनके बैंक एकाउन्ट में हस्तानान्तरित की जा सके।
16. विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ.प्र. शासन में 'क' श्रेणी में अनुमोदित ठेकेदार ही निविदा में प्रतिभाग कर सकते हैं।

अधिशासी अभियन्ता
(वि0/यां0)

पत्रांक : ..../डी/ई.ई.(ई.)/2018, दिनांक 21.04.2018

प्रतिलिपिः–

1. उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।
2. सचिव/वित्त नियन्त्रक महोदय को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियन्ता महोदय को सूचनार्थ।
4. अधिशासी अभियन्ता ई–टेण्डरिंग/कम्पनी के प्रतिनिधि को इस आशय से प्रेषित कि वह वेबसाइट पर प्रकाशित करायें।
5. जनसम्पर्क अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे वेबसाइट एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायें।
6. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

अधिशासी अभियन्ता
(वि0/यां0)

Scanned by CamScanner